न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–जगदीश आर्य

अपील संख्या 26 / 2024 तारीख रजू 27.03.2024

कृष्णा पत्नी धनजी निवासी ग्राम सेवती खुर्द तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

– अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, खण्डार जिला सवाई माधोपुर – रेस्पोडेन्ट

उपस्थित – श्री मुकेश तेहरिया एडवोकेट – अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 02.07.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, खण्डार द्वारा मुकदमा नं0 16 / 2024 एवं 144 / 24 मे पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सेंवतीखुर्द के चरागाह आराजी खसरा नम्बर 220 रकबा 7.00 बीघा किस्म भूमि चरागाह तथा सिवायचक भूमि आराजी खसरा नम्बर 225, 614 / 285 रकबा 10.00 बीघा किस्म ब.का.च. (चरागाह 7.00 बीघा व सिवायचक 10.00 बीघा कुल रकबा 17.00 बीघा) पर संवत 2080 में फसल रबी में सरसों काश्त कर अनाधिकृत रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ–साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 3 माह (90) दिवस के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को आराजी ख0नं0 220 रकबा 7.00 बीघा किस्म चारागाह तथा ख0नं0 225,614 / 285 रकबा 10 बीघा किस्म सिवायचक वाके ग्राम सेवती खुर्द तहसील खण्डार पर सम्वत 2080 में रबी की फसल में सरसो काश्त करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास एवं पैनल्टी से दण्डित किया है, उक्त अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है, इस संबंध में कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को ना तो विधिवत नोटिस जारी किया यदि अपीलान्ट को न्यायालय द्वारा जारी नोटिस प्राप्त होता तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष पेश करती। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एकमात्र पटवारी हल्का द्वारा मिथ्या बयानों के आधार पर बिना किसी जिरह का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई रिकार्ड नहीं है ना ही पूर्व में पारित बेदखली है इस कारण से अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त अतिक्रमण के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह कि अपीलान्ट के पति राजकीय सेवा में रेलवे विभाग सवाई माधोपुर में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत है। अपीलान्ट अपने पति के साथ ही सवाई माधोपुर में निवास कर रही है। इसलिए जब अपीलान्ट अपने पति के साथ सवाई माधोपुर में निवास करती है तो उसके द्वारा उक्त

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

भूमि पर काश्त करना सम्भव नहीं माना जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.02.2024 को अपास्त घोषित फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलार्थी की तामील कराने वाले तामिल कुलिन्दा ने नोटिस पर यह अंकित किया है कि " कृष्णा के घर पर को नहीं मिला है नोटिस की एक प्रति उसके खुले मकान पर चस्पा है" किन्तु उक्त नोटिस पर चस्पा करते समय दो स्वतंत्र गवाहान जिनके समक्ष चस्पा किया गया, के हस्ताक्षर नहीं है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त नोटिस चस्पा किये गये अथवा नहीं। इस प्रकार अपीलान्ट को अदालत मातहत ने सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तामिल कुलिन्दा द्वारा उक्त नोटिस को अपीलार्थी को तामिल करवाने हेतु उसके घर पर जाने पर उसके घर पर कोई नहीं मिला जिससे अपीलार्थी के उक्त कथन कि " अपीलार्थी अपने पति के साथ सवाई माधोपुर निवास करती है " कि पुष्टि भी होती है। इसके अलावा नायब तहसीलदार खण्डार से प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट चाहे जाने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पटवारी हल्का पाली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में मौके पर खाली पडा हुआ है किसी प्रकार का अतिक्रमण उक्त रकबे पर नहीं है। वर्तमान में उक्त भूमि पर जोत भी नहीं लगायी है। उक्त मौका रिपोर्ट पर ग्रामवासियों के हस्ताक्षर भी है। उक्त विवादित ख0नंबरान की वर्तमान मौके की फोटो व विडियोग्राफी संबंधित पटवारी हल्का द्वारा बावजूद पत्राचार पेश नहीं की गई इसके विपरीत अपीलार्थी द्वारा उक्त विवादित ख0नम्बरान की वर्तमान मौके की फोटो पेश की जिस पर उसका किसी प्रकार का अतिक्रमण होना प्रकृट नहीं होता है। जिससे अपीलार्थी के अतिक्रमी होने पर संदेह प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय, इसके संबंध में कोई दस्तावेज, रिपोर्ट, नोटिस आदि संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना अवगत कराया है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय दिनांक 06.02.2024 में अपीलान्ट के 640/256 रकबा 4.00 बीघा किस्म बंजड बेहड में फसल रबी में सरसो की फसल कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करना तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना पाया जाता है किन्तु पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अपीलार्थी का उक्त आराजी ख0नं0 220 रकबा 7.00 बीघा, 225 व 614/285 रकबा 10.00 बीघा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के पुख्ता सबूत उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी पूर्ण स्वीकार की जाती है जिसमे अपीलार्थी पर धारित की गई शास्ति, जुर्माना एवं सजा माफ किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर